अध्याय

3 सीएसआर नीति ढांचा

प्रत्येक कारबार सत्त्व से कार्यनीति योजना के दिशानिर्देश के लिए सीएसआर नीति का प्रतिपादन करना और सीएसआर पहलों के लिए रोडमैप उपलब्ध कराना प्रत्याशित है जो समग्र कारबार नीति एवं लक्ष्यों का एक अभिन्न भाग होना चाहिए। सीएसआर पहलों में परियोजनाओं/कार्यकलापों की पहचान, समयबद्धता के साथ मापयोग्य प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित करना, संगठनात्मक तंत्र और सीएसआर पहल के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व, बजट और मानीटरिंग ढाँचा शामिल होने चाहिएं।

3.1 सीएसआर नीति

सेल के निदेशक बोर्ड ने जुलाई 2009 में सीएसआर नीति का अनुमोदन किया था। कम्पनी अपनी नीति के माध्यम से यह अनुभव करती है कि इसके कारबार कार्यकलाप का सोसाइटी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है। कम्पनी धारणीय विकास और अपने पणधारियों के हितों को पूरा करने की वचनबद्धता दर्शाने के लिए नैतिक एवं पारदर्शी तरीके में अपने कारबार मूल्यों और प्रचालनों को समाकलित कर अपना अस्तित्व बनाए रखती है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनी की सीएसआर नीति व्यापक नहीं है क्योंकि इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख नहीं है

- सीएसआर के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्र
- सीएसआर कार्यकलापों का कार्य क्षेत्र अर्थात पर्यावरण, सुरक्षा, शिक्षा, परिधीय विकास इत्यादि
- सीएसआर कार्यकलापों को करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली
- सीएसआर कार्यकलापों के लिए निधियों का बजट/स्रोत
- सीएसआर कार्यकलापों के लिए कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग प्रणाली

जबकि आरआईएनएल की सीएसआर नीति व्यापक है और इसमें सीएसआर कार्यकलापों के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यनीति और मुख्य क्षेत्र शामिल हैं, यह नीति सीएसआर सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए बजट आबंटन और कार्यान्वयन मशीनरी भी विनिर्दिष्ट करती है।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2010) कि सेल की सीएसआर नीति एक दस्तावेज है जो धारणीय विकास और पणधारियों के हित को पूरा करने के प्रति सेल की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है और उसमें सीएसआर नीति का मार्गदर्शी सिद्धान्त शामिल है। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुरूप "सेल सीएसआर दिशानिर्देशों" के रूप में ज्ञात दस्तावेज का एक पृथक सेट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं।

संक्षेप में, सेल को विस्तृत दिशानिर्देश/निति अपनानी चाहिए जिसमें सीएसआर कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र, सीएसआर कार्यकलापों को करने की कार्यप्रणाली, निधियन व्यवस्था और स्थापना का कार्यान्वयन और मानीटरिंग से सम्बन्धित मुद्दे शामिल हैं।

3.2 सीएसआर बजट और उपयोग

सेल और आरआईएनएल ने सीएसआर के प्रयोजन के लिए क्रमशः बोर्ड संकल्प और सीएसआर नीति के माध्यम से बचनबद्धताएँ की हैं और सीएसआर कार्यकलापों के लिए वर्ष 2006–07 से वितरणयोग्य अधिशेष का 2 प्रतिशत चिन्हित किया

है। इस राशि को सामान्यतः सामाजिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है और जहाँ तक पर्यावरण और सुरक्षा विषयों का संबन्ध है, संसाधन समग्र बजट से उपलब्ध कराए जाते हैं। 2004–05 से 2009–10 तक की अवधि के लिए बजट और किए गए व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सेल		आरआईएनएल	
	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2004-05	2006–07 से 2% की आवश्यकता प्रस्तावित थी		आरआईएनएल ने वर्ष 2006–07 से सीएसआर कार्यकलाप शुरू किए	
2005-06				
2006-07	26	19.78	6.78	3.47
2007-08	95	119.61	27.27	13.81
2008-09	114	83.03	38.85	12.21
2009-10	80	78.79	12.75	9.37
जोड़	**315**	**301.21**	**85.65**	**38.86**

हमने देखा की :

- सेल को निदेशक बोर्ड के निर्णय (मार्च 2006) के अनुसार सीएसआर के लिए वितरण योग्य लाभ की 2 प्रतिशत की दर पर निधि उपलब्ध करानी थी जिसका सेल ने वर्ष 200607 को छोड़कर अनुपालन किया।
- आरआईएनएल ने यथाभिप्रेत निधियाँ उपलब्ध करायी किन्तु उसमें से लगभग 45 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया, इस प्रकार, सीएसआर कार्यकलापों को पूरा नहीं किया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2010) कि सेल में आबंटित सीएसआर बजट का व्यय नियमित आधार पर प्राधिकारियों द्वारा मानीटर किया जा रहा है। सभी परियोजनाओं को तेज करने के लिए आरआईएनएल में मानीटरिंग तंत्र लगाया गया है जहाँ सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति और व्यय दोनों को प्रत्येक महीने सीएमडी की अध्यक्षता में निदेशक–समिति द्वारा मानीटर किया जा रहा है। वर्तमान में सीएसआर निधियों का निष्पादन और उपयोग हर महीने एमओयू लक्ष्यों से अधिक अथवा समान है।

3.3 सीएसआर कार्यकलापों के लिए पृथक निधि

- सेल, सीएसआर कार्यकलापों के लिए अपने वितरणयोग्य अधिशेष के दो प्रतिशत का बजट आबंटन करती है। इस बजट को सेल के विभिन्न संयंत्रों और यूनिटों को पुनः आबंटित किया गया। किन्तु सेल इस राशि को एक पृथक सीएसआर निधि में हस्तांतरित नहीं कर रही थी, इसलिए, खर्च न की गई निधि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो गई।
- आरआईएनएल में भी कम्पनी ने कोई पृथक सीएसआर निधि नहीं बनाई थी। कम्पनी ने बजट प्रावधान में से वचनबद्धताएं की और अवचनबद्ध / खर्च न की गई राशि वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो गई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2010) सेल के मामले में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था जबकि आरआईएनएल के लिए बताया गया था कि गैर व्यपगत योग्य सीएसआर पूल निधि के सृजन के लिए कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त एग्जिट काफ्रेंस (दिसम्बर 2010) के दौरान सेल प्रबन्धन सीएसआर निधि के सृजन के लिए सहमत नहीं हुआ था और बताया कि भविष्य में बजट तैयार करते समय खर्च न की गई राशि, यदि कोई है, अग्रेषित होगी और अगले बजट में जोड़ दी जाएगी ।,

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीपीई ने अपने दिशानिर्देशों में (अप्रैल 2010) यह भी बल दिया कि सीएसआर बजट सीएसआर निधि में हस्तांतरित होना चाहिए। अतएव, एक सीएसआर निधि जो मेनलाइन बजट से अलग है, सेल और आरआईएनएल द्वारा सृजित की जाए ताकि खर्च न की गई निधि व्यपगत होने से बच जाए और बेहतर मानीटरिंग सुनिश्चित हो।

3.4 सीएसआर कार्यान्वयन ढांचा

सेल में कारपोरेट स्तर पर सीएसआर कक्ष है जिसका मुखिया महाप्रबन्धक होता है। संयंत्र स्तर पर भी सीएसआर कक्ष होते हैं जिनका पर्यवेक्षण सम्बन्धित संयंत्रों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा किया जाता है। योजनाएँ संयंत्र स्तर पर बनायी जाती हैं और वार्षिक बजट में भी शामिल की जाती हैं ।

सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु आरआईएनएल ने धमार्थ न्यास जिसका नाम आरआईएनएल फाउन्डेशन हैं, की स्थापना की है जिसका प्रशासन एक समिति द्वारा किया जाता है एवं समिति में सीएमडी निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) होते हैं। समिति सीएसआर के विभिन्न शीर्षों जैसे परिधीय विकास, शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, क्रीड़ा और खेलकूद, स्व रोजगार कार्यक्रमों इत्यादि के अन्तर्गत बजट आबंटन के लिए दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करने का एक सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। दिशानिदेर्शों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन में सर्वोच्च समिति की सहायता कार्मिक (कल्याण एवं सीएसआर) विभाग द्वारा की जाती है।

मंत्रालय ने उत्तर देते समय (दिसम्बर 2010) तथ्यों की पुष्टि की।

3.5 निष्कर्ष

यद्यपि सेल पर्याप्त निधि उपलब्ध करा रही थी और उसके पास उचित कार्यान्वयन ढांचा भी था, तथापि, कम्पनी के पास सीएसआर कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विस्तृत सीएसआर नीति नहीं थी। जबकि आरआईएनएल के पास विस्तृत सीएसआर नीति और सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु स्थापित पृथक ढांचा भी है किन्तु कम्पनी ने बजट का पूरा उपयोग नहीं किया। कम्पनियाँ सीएसआर कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराये गए बजट को एक पृथक निधि में हस्तांतरण नहीं कर रही थी जिसके कारण खर्च न की गई राशि व्यपगत हो रही थी।

इन अपर्याप्तताओं का विश्लेषण किया गया है और उसकी चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।

सिफारिश

(i) सेल एवं आरआईएनएल द्वारा मुख्य बजट से अलग एक समर्पित सीएसआर निधि का सृजन किया जाए ताकि निधि के व्यपगत होने से बचा जा सके तथा समर्पित निधियों का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।